## कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.) क्रमांक GWLLP10032519851/ दिनांक / 17/MAR/2025

क्र./1616 दिनांक 17/MAR/2025

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपातंरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (Raja Bhai Singh)-SHRI DEVSTHAN GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI MARYADIT GWALIOR THROUGH PRESIDENT SHRI LAXMI KANT SHIVHARE S/O LATE SHRI PHOOLCHAND SHIVHARE द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेत् आवेदन किया है:-

- (क) परियोजना का नाम:-APARTMENT HOUSING FLAT
- (ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक):- पूर्व स्वीकृत ग्राम Mahera तहसील Citycenter व जिला Gwalior की भूमि सर्वे क्रमांक / खसरा क्रमांक 620, 704/2 कुल रकबा 2.456 हेक्टेयर भूमि पर Residential , APARTMENT HOUSING / FLAT विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है।
- (ग) विकास का प्रयोजन:-Residential, APARTMENT HOUSING / FLAT
- (घ) स्वीकृति क्रमांक GWLLP041122638 दिनांक 2022-12-07

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता हैं, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति,उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव,इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp=AM7gsS3Ey11616 पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबतद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में

पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबतद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

> संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला ग्वालियर(म.प्र.)

प्र.क्र./429349

नग्रानि/Gwalior

दिनांक 17/MAR/2025

## प्रतिलिपि:-

- 1. आवेदक- (Raja Bhai Singh)-SHRI DEVSTHAN GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI MARYADIT GWALIOR THROUGH PRESIDENT SHRI LAXMI KANT SHIVHARE S/O LATE SHRI PHOOLCHAND SHIVHARE को उक्त सार्वजिनक सूचना को दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों (साईज 2 कॉलम 10 से.मी.) में स्वयं के खर्चे पर प्रकाशित करावें तथा उनकी मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। उक्त समाचार पत्रों का प्रश्नाधीन क्षेत्र, जिसमें कि भूमि अवस्थित हैं, में विस्तर्त परिचालन होना चाहिए। स्थल पर सार्वजिनक सूचना को प्रदर्शित भी करें।
- 2. कलेक्टर, जिला Gwalior की ओर सूचनार्थ।
- 3. आयुक्त, नगर पालिका निगम, Gwalior की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला ग्वालियर(म.प्र.)